**Loss of life and property due to National Calamities**

1101. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the loss of life and property in the country due to flood, drought and natural calamity like earthquake, during the last three months; and

(b) the total expenditure incurred for providing relief to the affected people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) According to information received from the State Government's heavy rains, floods, land slides, hailstrorms and earthquake have affected 14 States during the last three months claiming 710 human lives, damaging 3.84 lakh houses and crops in an area of 9.90 lakh ha.

(b) Government of India have released Rs. 441.22 crores to the affected State Governments from the State Calamity Relief Fund and the National Fund for Calamity Relief for undertaking relief and rehabilitation measures.

**केन्द्रीय दल का जबलपुर भूकम्पग्रस्त क्षेत्र का दौरा**

1102. **श्री राघवजी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में आए भूकम्प के कारण हुई क्षति का आंकलन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल वहां पर भेजा गया है; यदि हां, तो उस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार भूकम्प से कुल कितनी क्षति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता राशि मांगी है और अब तक केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की है या निकट भविष्य में प्रदान करने की संभावना है; और

(घ) इस भूकम्प के क्या कारण थे?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० एस० वेनुगोपालाचारी:** (क) से (ग) राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार 22 मई, 1997 को जबलपुर और इसके आसपास के इलाकों में आए भूकम्प से 39 लोगों की जानें गई, 397 व्यक्ति घायल हुए तथा 1.66 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा।

भूकम्प पीड़ितों को राहत प्रदान करने व उनके पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 230.77 करोड़ रु० की सहायता मांगी है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गये केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 45.26 करोड़ रु० की सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है जिसे 26.6.1997 को जारी कर दिया गया था। यह राशि आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की अग्रिम रूप से जारी की गई तीसरी एवं चौथी तिमाही की किश्त के रूप में दिए गए 20.21 करोड़ रु० के अतिरिक्त है।

(घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, भू-वैज्ञानिक भूल की गत्यात्मक शक्तियों द्वारा "फाल्ट्स" कहलाए जाने वाले कमजोर क्षेत्रों के आस-पास चट्टानों के खिसका दिए जाने के कारण भूकम्प आते हैं। जबलपुर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित "सोन-नर्मदा साउथ फाल्ट" इस भूकम्प का एक मुख्य कारण हो सकता है।

**कृषि के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं**

1103. **श्री एस० एस० सुरजेवाला:**
**श्री अजीत जोगी:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिए केन्द्र द्वारा लागू की जा रही प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन जिलों को इन परियोजनाओं में शामिल किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी अनुमानित राशि व्यय की गई है और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख)** मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही कृषि विकास की केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची विवरण-I पर दी गई

है (नीचे दिया गया)। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं जो उन्हें कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों को देती हैं। इसलिए इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले जिलों की सूची देना सम्भव नहीं है।

(ग) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में 1994-95 से 1996-97 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा और उसी अवधि के दौरान खाद्यान्नों, कपास और तिलहनों के उत्पादन क्रमशः विवरण-II और विवरण-III पर दिए गए हैं।

## विवरण-I

**मध्य प्रदेश में क्रियान्वित केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची**

क्र०सं० योजनाओं का नाम

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम — चावल
2. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम — मोटे अनाज
3. गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास
4. गहन कपास विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
6. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
7. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
8. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
9. उर्वरक का संतुलित एवं समेकित प्रयोग
10. कम खपत वाले व वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास
11. जैव-उर्वरक के विकास एवं उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना
12. एकीकृत बीज विकास योजना
13. महत्वपूर्ण अभिज्ञात सब्जी वाली फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को कारगर बनाना
14. समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान
15. कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान
16. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
17. देश में किसानों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना
18. किसान वैज्ञानिक परस्पर विचार विमर्श
19. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
20. नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
21. बाढ़ प्रवण नदियों के प्रनण-क्षेत्र में मृदा संरक्षण
22. क्षारीय मृदा का सुधार
23. मधुमक्खी पालन का विकास
24. औषधीय तथा सुगंधित पौधों का विकास
25. कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग
26. वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास
27. ग्रामीण का विकास
28. उष्म कटीबन्धी, शुष्क व शीतोष्ण क्षेत्र के फलों का समेकित विकास
29. समेकित काजू विकास कार्यक्रम
30. कन्द-मूल फसलों का विकास
31. पान की बेल का विकास
32. सब्जियों का विकास
33. समेकित मसाला विकास
34. प्रशिक्षण एवं विस्तार (मात्स्यिकी)
35. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
36. मछली पालन विकास एजेन्सियां
37. अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन
38. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
39. एल०डी०बी० के ऋण-पत्रों में निवेश
40. गैर अतिदेय कवर योजना
41. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
42. महिला सहकारी समितियों को सहायता
43. समय पर रिपोर्ट देने की योजना
44. फसल सांख्यिकी का सुधार
45. पशु धन संगणना
46. कृषि संगणना

## विवरण-II

**केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कृषि के विकास के लिए निधियों का राज्यवार निर्मुक्तियां**

(लाख रुपये में)

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5594.55 | 6453.41 | 8555.43 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 316.21 | 472.85 | 221.08 |
| 3. | असम | 1251.67 | 861.00 | 1054.31 |
| 4. | बिहार | 766.02 | 1537.13 | 1638.57 |
| 5. | गोवा | 189.29 | 219.34 | 163.91 |
| 6. | गुजरात | 3247.27 | 2852.42 | 3922.31 |
| 7. | हरियाणा | 1992.42 | 3113.22 | 2790.32 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1648.91 | 1400.71 | 1084.53 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 603.13 | 1219.51 | 1312.72 |
| 10. | कर्नाटक | 5502.01 | 5271.14 | 7062.45 |
| 11. | केरल | 3381.32 | 2904.05 | 4093.26 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4661.31 | 5973.27 | 8942.32 |
| 13. | महाराष्ट्र | 8562.26 | 11249.26 | 11148.58 |
| 14. | मणिपुर | 583.46 | 1033.77 | 1228.69 |
| 15. | मेघालय | 254.99 | 159.59 | 442.29 |
| 16. | मिजोरम | 724.94 | 501.07 | 515.54 |
| 17. | नागालैंड | 774.62 | 737.61 | 786.50 |
| 18. | उड़ीसा | 3078.82 | 3774.39 | 4485.80 |
| 19. | पंजाब | 1858.87 | 2966.50 | 3113.45 |
| 20. | राजस्थान | 5872.99 | 8595.70 | 10012.04 |
| 21. | सिक्किम | 384.81 | 424.90 | 314.72 |
| 22. | तमिलनाडु | 5140.71 | 5698.12 | 6191.90 |
| 23. | त्रिपुरा | 307.16 | 308.31 | 379.39 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 9773.35 | 11023.32 | 10681.42 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1507.26 | 2475.25 | 734.20 |
| | कुल | 67979.35 | 81225.83 | 90875.73 |

## विवरण-III

### 1993—97 के दौरान कुल खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान

उत्पादन (हजार मीटरी टन)

| राज्य का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 (अग्रिम) |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 12253.5 | 11783.6 | 11577.9 | 12628.0 |
| असम | 3585.0 | 3489.2 | 3561.2 | 3676.0 |
| बिहार * | 12776.1 | 12971.0 | 13069.3 | 13813.0 |
| गुजरात | 3778.0 | 5247.0 | 4103.1 | 4943.0 |
| हरियाणा | 10254.6 | 10993.6 | 10208.4 | 11369.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 1229.3 | 1406.5 | 1372.8 | 1538.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 1455.0 | 1443.0 | 1366.8 | 1575.0 |
| कर्नाटक | 8659.3 | 8106.6 | 8768.0 | 9335.0 |
| केरल | 1044.4 | 999.9 | 955.5 | 873.0 |
| मध्य प्रदेश | 19127.2 | 13428.3 | 17777.2 | 19565.0 |
| महाराष्ट्र | 13582.4 | 11524.8 | 11667.7 | 14548.0 |
| उड़ीसा | 7289.8 | 6898.8 | 7833.9 | 4786.0 |
| पंजाब | 21577.0 | 21916.8 | 20017.7 | 21566.0 |
| राजस्थान | 7054.8 | 11710.4 | 9565.6 | 13045.0 |
| तमिलनाडु | 8257.5 | 9088.0 | 9164.1 | 7529.0 |
| उत्तर प्रदेश | 37198.0 | 39207.7 | 38943.3 | 42439.0 |
| पश्चिम बंगाल | 13100.6 | 13278.6 | 12994.3 | 12885.0 |
| अन्य | 2087.9 | 2101.4 | 2101.2 | 2057.0 |
| कुल | 184260.4 | 131495.2 | 185048.0 | 198170.0 |

* 16.6.97 की स्थिति

### 1993—97 के दौरान कुल तिलहनों के उत्पादन के अनुमान

उत्पादन (हजार मीटरी टन)

| राज्य का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 (अग्रिम) |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2899.6 | 2110.1 | 2839.7 | 2365.0 |
| असम | 144.7 | 163.7 | 157.7 | 198.0 |
| बिहार | 161.4 | 144.2 | 139.4 | 140.0 |

| राज्य का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 (अग्रि.) |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | 1672.4 | 3706.9 | 2164.4 | 3593.0 |
| हरियाणा | 869.7 | 863.2 | 815.6 | 992.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 4.7 | 8.2 | 7.9 | 8.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 44.2 | 26.5 | 26.8 | 32.0 |
| कर्नाटक | 1888.7 | 1542.4 | 1789.2 | 1817.0 |
| केरल | 11.1 | 15.1 | 14.3 | 11.0 |
| मध्य प्रदेश | 4735.1 | 3856.5 | 4901.4 | 4999.0 |
| महाराष्ट्र | 2346.2 | 1814.3 | 1980.8 | 2423.0 |
| उड़ीसा | 294.3 | 243.9 | 241.7 | 191.0 |
| पंजाब | 235.0 | 263.6 | 274.2 | 332.0 |
| राजस्थान | 2405.2 | 2834.1 | 3068.3 | 3575.0 |
| तमिलनाडु | 1968.3 | 1874.4 | 3042.3 | 1723.0 |
| उत्तर प्रदेश | 1423.8 | 1378.9 | 1469.4 | 1559.0 |
| पश्चिम बंगाल | 416.2 | 414.6 | 415.5 | 420.0 |
| अन्य | 84.9 | 76.1 | 79.7 | 84.0 |
| कुल | 21495.5 | 21336.7 | 22428.3 | 24462.0 |

* 16.6.97 की स्थिति

**1993-1997 के दौरान कपास के कुल उत्पादन का अनुमान**

उत्पादन (प्रत्येक 170 कि॰ग्रा॰ की गांठ)

| राज्य का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 (अग्रिम) |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1349.2 | 1425.6 | 1626.6 | 1849.0 |
| असम | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| गुजरात | 1622.8 | 2269.3 | 2201.4 | 2823.0 |
| हरियाणा | 1124.0 | 1373.0 | 1283.0 | 1504.0 |
| कर्नाटक | 773.3 | 822.0 | 849.1 | 932.0 |
| केरल | 18.6 | 21.8 | 21.3 | 21.0 |
| मध्य प्रदेश | 420.3 | 345.7 | 422.4 | 437.0 |
| महाराष्ट्र | 2625.4 | 2500.3 | 2799.2 | 3143.0 |

| राज्य का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 (अग्रिम) |
|---|---|---|---|---|
| उड़ीसा | 3.2 | 9.7 | 26.5 | 28.0 |
| पंजाब | 1514.0 | 1779.0 | 1950.0 | 1925.0 |
| राजस्थान | 838.7 | 875.2 | 1338.3 | 1363.0 |
| तमिलनाडु | 426.2 | 440.0 | 546.8 | 480.0 |
| उत्तर प्रदेश | 12.4 | 11.6 | 15.1 | 7.0 |
| अन्य | 11.7 | 13.6 | 12.8 | 13.0 |
| कुल | 10740.6 | 11887.6 | 13093.3 | 14526.0 |

* 16.6.97 की स्थिति के अनुसार

**Genetically-Engineered Bovine Growth Harmone (BGH)**

1104. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has given approval to a multinational company's proposal to sell a genetically-engineered bovine growth harmone (BGH) in India;

(b) if so, whether the Ministry had taken into consideration the ecological consequences and the risk factors listed by the Company in its product literature before giving its approval and whether opinion of experts has been sought in the matter; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) and (c) On the basis of the recommendations of the Genetic Engineering Approval Committee, Ministry of Environment and Forests have given conditional environmental clearance to M/s Eli Lilly Ranbaxy Limited, New Delhi for commercial use of Recombinant Bovine Somatotropin for use in buffaloes, subject to clearance by Drugs Controller General (India).

**News-item captioned "US Biopirates Train Guns on Mustard"**

1105. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have seen news report by Shri M.K. Shukla published in the 'Hindustan Times' of 24th April, 1997 under the caption "US Biopirates Train Guns on Mustard";

(b) if so, whether Government have tried to investigate into the matter in detail;

(c) if so, what are the results thereof and what legal, scientific and diplomatic steps are being taken care of suoh problems; and

(d) if not, the reasons, therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

**Drugs under Price Control Order**

1106. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has been decided to put monopoly drugs under the Drug Prices Control Order, 1995 while